

NCPDR प्रमुख ने बहिर के मदरसों की संयुक्त राष्ट्र से जाँच कराने की मांग की चर्चा में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPDR) के चेयरमैन ने बहिर के सरकारी वित्त पोषित मदरसों में "अतवादी" पाठ्यक्रम और इन स्कूलों में हट्टि बच्चों के नामांकन पर गंभीर चर्चा जताई।

मुख्य बट्टि

- चेयरमैन ने मदरसों के लयि इस पाठ्यक्रम को वकिसति करने में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनसिफ) की भूमिका की आलोचना की
- उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इन गतविधियों की जाँच करने का भी आह्वान कयिा और मदरसा बोर्ड को भंग करने का आग्रह कयिा
- इन मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल कई कतिाबें पाकसितान में प्रकाशति हुई हैं और उनकी सामग्री पर शोध जारी है।
- [शकिसा के अधिकार \(RTE\) अधनियम, 2009](#) के दायरे से बाहर की गतविधियों के लयि धन का उपयोग भारतीय संवधान और [बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कंवेशन \(UNCRC\)](#) दोनों का उल्लंघन है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPDR):

- NCPDR बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधनियम, 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापति एक सांवधिक नकियाय है।
- यह महिला एवं बाल वकिसा मंत्रालय के प्रशासनकि नयितरण में है।
- आयोग का प्राथमकि कार्य यह सुनश्चिति करना है कसिभी देशों में नरिमति सभी कानून, नीतयिाँ, कार्यक्रम और प्रशासनकि तंत्र, बाल अधिकारों के परपिरेकष्य में भारतीय संवधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कंवेशन के अनुरूप हों।
- यह शकिसा का अधिकार अधनियम, 2009 के तहत एक बच्चे के मुफ्त और अनविरय शकिसा के अधिकार से संबंधति शकियायतों की जाँच करता है।
- यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO) अधनियम, 2012 के कार्यानवयन की नगिरानी करता है।
- बाल अधिकारों पर कंवेशन
- यह 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि है।
- यह 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक वयक्तको एक बच्चा मानता है।
- यह प्रत्येक बच्चे के नागरकि, राजनीतकि, आर्थकि, सामाजकि और सांस्कृतकि अधिकारों को नरिधारति करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या योग्यता कुछ भी हो।
 - इसमें शकिसा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण सहति मानसकि या शारीरकि शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं।
- यह वैश्वकि रूप से सबसे व्यापक अनुसमर्थति मानवाधिकार संधि है।